

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 31/2021-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 12.08.2021

का.आ. (अ) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि.916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

तालिका

क्र. सं.	नोटिसी का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै. एल&टी मेट्रो रेल (हैदराबाद) लिमिटेड, हैदराबाद मेट्रो एड्मिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, उप्पल मैन रोड, हैदराबाद, तेलंगाना-500039 और मै. हुंडे रोटेम कंपनी, यूनिट सं. 706, 707 & 708 (7 ^{वां} तल), डीएलएफ टावर-A, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर (अपोलो हॉस्पिटल के निकट-मथुरा रोड), नई दिल्ली-110025	फ़ा. सं. S.Misc.28/2021- Gr.-5B दिनांक 23.04.2021	आयुक्त सीमाशुल्क (सी आयात), चेन्नई-II, कस्टम हाउस, चेन्नई.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई (तालिका के क्रम सं. 1 से 9 के लिए)
2.	मै. एल&टी मेट्रो रेल (हैदराबाद) लिमिटेड, हैदराबाद मेट्रो एड्मिनिस्ट्रेटिव	फ़ा. सं. DRI/CRU/VIII/26/E nq-1/Int-10/2019	प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क, हैदराबाद कस्टमस, बशीरबाग,	

	बिल्डिंग, उप्पल मैन रोड, हैदराबाद, तेलंगाना-500039 और मै. हुंडे रोटेम कंपनी,	दिनांक 07.05.2021 (ओ आर सं. 106/2021- Adjn.Cus(PC))	हैदराबाद.
3.	N-3, 3 ^{रा} तल, रिंग रोड, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-I, नई दिल्ली-110049.	ओ आर सं. 104/2021-Adjn Cus ADC दिनांक 03.06.2021	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स), जीएसटी भवन, बशीरबाग, एल बी स्टेडियम रोड, हैदराबाद.
4.		फ़ा. सं. ACC/ASST/MISC/3 49/2021-TSK-O/o Pr. Commr-Cus- APandACC-बेंगलुरु दिनांक 23.06.2021.	सहायक/ उप आयुक्त सीमाशुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, एयरपोर्ट एयर & कार्गो कॉम्प्लेक्स, देवनहल्ली, बेंगलोर.
5.	मै. बीईएमएल लिमिटेड, बीईएमएल सौधा, 23/1, 4 ^{था} मेन, एस आर नगर, बेंगलुरु-560027 और मै. हुंडे रोटेम कंपनी,	GEN/ADJ/ADC/173 /2021 दिनांक 03.04.2021 (एससीएन क्र. सं. 75/2020-21)	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, एयरपोर्ट एयर & कार्गो कॉम्प्लेक्स, देवनहल्ली, बेंगलुरु.
6.	N-3, 3 ^{रा} तल, रिंग रोड, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-I, नई दिल्ली-110049.	सी. सं. VIII/48/147/2021 ICD SIIB दिनांक 06.04.2021 (एससीएन सं. 26/2021)	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो- व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु.
7.		सी. सं. VIII/12/ACC- आयात/Gr.5B/SCN/0 2/2021 दिनांक 09.04.2021 (एससीएन सं.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली.

		02/2021)		
8.		फ़ा. सं. S.Misc.23/2021- ग्रुप5B (ACC) दिनांक 09.04.2021	सहायक आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-VII), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यू कस्टम हाउस, मीनाम्बक्कम, चेन्नई.	
9.	मै. बीईएमएल लिमिटेड, बीईएमएल सौधा, 23/1, 4 ^थ मेन, एस आर नगर, बेंगलुरु-560027 and मै. हुंडे रोटेम कंपनी, यूनिट सं. 706, 707 & 708 (7वा तल), डीएलएफ टावर-A, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर (अपोलो हॉस्पिटल के निकट-मथुरा रोड), नई दिल्ली-110025	फ़ा. सं. S.Misc.29/2021- Gr.5B दिनांक 12.04.2021, दिनांक 23.04.2021 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (सी आयात), चेन्नई-II, कस्टम हाउस, चेन्नई.	
10.	मै. सोनी इंडिया प्रा. लि., A-18, मोहन को-ओपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044	फ़ा. सं. DRI/MZU/NS- I/Enq-65/2020 दिनांक 05.03.2021, दिनांक 23.06.2021 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय	अपर आयुक्त सीमाशुल्क, ग्रुप 5A, चेन्नई-II, कस्टम हाउस, चेन्नई. अपर आयुक्त सीमाशुल्क, ग्रुप 5A, न्हावा शेवा-V, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. अपर आयुक्त सीमाशुल्क, नोएडा कौकोर कॉम्प्लेक्स कंटेनर डिपो, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुध नगर उप आयुक्त सीमाशुल्क (ग्रुप 5A), कस्टम हाउस, कोलकाता.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.
11.	मै. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, प्लॉट सं. 1, नेल्सन मंडेला रोड,	सी. सं. VIII/6/ICD/PPG/SII B/MARUTI	आयुक्त सीमाशुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो- पटपरगंज एवं आँय	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयनन), राजस्व आसूचना

	वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070.	SUZUKI/14/2021 दिनांक 26.03.2021.	आईसीडीस, गाजीपुर, दिल्ली.	निदेशालय, दिल्ली
12.		सी. सं. VIII/12/ACC- आयात/Gr- VA/Audit/SCN/MSI L/40/2021 दिनांक 18.06.2021. (एससीएन सं. 21/R.K./DC/2021/A CC-इम्पोर्ट)	उप आयुक्त सीमाशुल्क (ग्रुप VA), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात), न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली.	(तालिका के क्रम सं. 11 से 14 के लिए)
13.	मै. वालेओ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी डी येस आईटी पार्कस, ब्लॉक 1, सं. 63, राजीव गांधी सलाई (ओएमआर), नवालूर, चेन्नई-600130.	फ़ा. सं. S/3-Misc.- 20/2021-22/Gr. 5A/ACC(I) दिनांक 19.05.2021. (एससीएन सं. 30/2020-21)	आयुक्त सीमाशुल्क (III) (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई.	
14.		फ़ा. सं. <u>S/26-Misc- 127/2021-22/Gr.VA JNCH</u> DRI/LZU/CI-26/Int- 06/2019 दिनांक 18.06.2021 (एससीएन सं. 201/2021- 22/Gr.VA/CAC/JN CH)	आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	

[फ़ा. स.DRI/HQ-CI/50D/CAA-14/2021]

(भारती शर्मा)
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित:-

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-चेन्नई, लखनऊ और मुंबई को इस अनुरोध के साथ कि वे उनसे संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों और को- नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (ReliedUponDocuments) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें